समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

1. पार्वती बाई आयु 50 वर्ष बेवा रामदास
2. राजमणि बाई आयु 30 वर्ष पुत्री रामदास
3. ममता आयु 23 वर्ष पुत्री रामदास
4. भजनलाल आयु 25 वर्ष पुत्र रामदास
5. मुन्नी बाई पत्नी निवाली ग्राम नहाडिया तह. व जिला हरदा ....निगरानीकर्ता

श्री संदीप दुबे अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 11-6-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
11-6-14

बनाम

रामजीवन विश्नोई आयु 28 वर्ष आ0 माणकचंद विश्नोई
निवासी ग्राम नहाडिया तह. व जिला हरदा ....उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

उपरोक्त निगरानीकर्ता की ओर से तहसीलदार महोदय हरदा के द्वारा रा.प्र. क. 24 अ/12 वर्ष 06–07 में पारित आदेश दिनांक 10.8.07 से परिवेदित एवं दुखित होकर पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1847–पीबीआर / 2014 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–7–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–8–2007 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–8–2007 के विरूद्ध दिनांक 11–6–2014 को लगभग साढ़े छः वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब का कारण अधिवक्ता द्वारा सही राय नहीं दिया जाना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है, क्योंकि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में यह नहीं बतलाया गया है कि किस अधिवक्ता द्वारा गलत राय दी गई । इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही आवेदकगण की अनुपस्थिति में की गई है, अथवा सीमांकन आदेश की जानकारी नहीं थी । आवेदकगण का सीमांकन आदेश से व्यथित होने के बावजूद लगभग साढ़े छः वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं करना घोर लापरवाही का द्योतक है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	